"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2008—अग्रहायण 28, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रकाश राव ठवरे आत्मज श्री के. राव ठवरे, आयु 46 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 41-ए, मैत्रीविहार, पोस्ट-सुपेला, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र कृणाल ठवरे का नाम परिवर्तित कर कुणाल ठवरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को कुणाल ठवरे आत्मज श्री प्रकाश राव ठवरे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कृणाल ठवरे आत्मज श्री प्रकाश राव ठवरे निवासी-क्वा. नं. 41-ए, मैत्रीविहार पोस्ट-सुपेला, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कुणाल ठवरे आत्मज श्री प्रकाश राव ठवरे निवासी-क्वा. नं. 41-ए, मैत्रीविहार पोस्ट-सुपेला, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रकाश राव ठवरे आत्मज श्री के. राव ठवरे, आयु 46 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 41-ए, मैत्रीविहार, पोस्ट-सुपेला, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. कृतिका ठवरे का नाम परिवर्तित कर कु. तविशा ठवरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. तविशा ठवरे आत्मजा श्री प्रकाश राव ठवरे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कु. कृतिका ठवरे
आत्मजा श्री प्रकाश राव ठवरे
निवासी-क्वा. नं. 41-ए, मैत्रीविहार
पोस्ट-सुपेला, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
कु. तविशा ठवरे
आत्मजा श्री प्रकाश राव ठवरे
निवासी-क्वा. नं. 41-ए, मैत्रीविहार
पोस्ट-सुपेला, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. ज्योति वर्मा आत्मजा श्री विपिन बिहारी वर्मा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम-भैसमुड़ा तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. डाक्टरी प्रमाण-पत्र अनुसार मुझमें पुरुष होने का प्रमाण पाये जाने के फलस्वरूप मैं अपने नाम को परिवर्तित कर ज्योति सिंह वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ज्योति सिंह वर्मा आत्मज श्री विपिन बिहारी वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कु. ज्योति वर्मा
आत्मजा श्री विपिन बिहारी वर्मा
निवासी-भैसमुड़ा, पोस्ट-कूंरा
थाना-धरसींवा
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम
ज्योति सिंह वर्मा
आत्मज श्री विपिन बिहारी वर्मा
निवासी-भैसमुड़ा, पोस्ट-कूंरा
थाना-धरसींवा
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 26 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/08/991.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/02/1075/राजनांदगांव दिनांक 27-09-2002 के तहत स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक /44 दि. 30-11-1973 विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री बी. आर. सोनी, सह विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस.एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2186.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/422/बिलासपुर, दिनांक 19-2-2008 के तहत दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, तेली खाम्ही, पंजीयन क्रमांक 3842 दिनांक 1-3-97 विकासखण्ड लोरमी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2187.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/913/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2007 के तहत जय बाला जी उपभोक्ताा भंडार सहकारी समिति मर्यादित, भगत सिंह नगर, वार्ड 34, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3599 दिनांक 17-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2188.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/423/बिलासपुर, दिनांक 19-2-2008 के तहत मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, मोहतरा, पंजीयन क्रमांक 3161 दिनांक 10-3-86 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री कोमल सिंह हुपेण्डी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2189.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/534/बिलासपुर, दिनांक 24-4-2006 के तहत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मझवानी, पंजीयन क्रमांक 167 दिनांक 26-8-04 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री एम. के बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2190.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ /बिलासपुर, दिनांक .... के तहत माँ शक्ति कामगार सहकारी समिति मर्यादित, भाड़ी, पंजीयन क्रमांक 3542 दिनांक 20-8-94 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री .के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/2008/2210.— सामान्य मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, करगीखुर्द, विकास खण्ड कोटा, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3679 दिनांक 26-6-95 विगत वर्षो से अकार्यशील रहने एवं निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अंतः संस्था के परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय संस्था के पास मत्स्य पालन हेतु जलाशय उपलब्ध है तथा नियमों के तहत कार्यशील है. वर्तमान में समिति में 39 सदस्य हैं तथा बैंक खाता में रु. 2025.00 जमा है. अमानत राशि 8,820.00 रु. है. जाल स्टाक राशि 9990.00 रु. है एवं वर्ष 07-08 में राशि

रु. 1,39,175/- का मछली विक्रय किया गया है एवं मत्स्य विभाग में राशि रु. 76,800.00 रायल्टी जमा किया गया है. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवन करना सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-बी दिनांक 26-07-99 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोयायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत सामान्य मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, करगीखुर्द, विकास खण्ड, कोटा को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री राधे	अध्यक्ष
2.	श्री प्रेम सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री कुशाल [illegible]	सदस्य
4.	श्री मन्ताराम	सदस्य
5.	श्री सोनुराम	सदस्य
6.	श्री बलराम प्रसाद	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2212.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/976/बिलासपुर, दिनांक 8-5-08 के तहत खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मंगला, पंजीयन क्रमांक 119 दिनांक 13-8-2000 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 4-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2216.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/973/बिलासपुर, दिनांक 8-5-2008 के तहत समीक्षा कामगार सहकारी समिति मर्यादित, राज किशोर नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 133 दिनांक 20-9-2002 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 4-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2217.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/971/बिलासपुर, दिनांक 8-5-08 के तहत मदर टेरेसा क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, पुराना सरकंडा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 227 दिनांक 6-10-2005 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 4-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/2218.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/972/बिलासपुर, दिनांक 8-5-2008 के तहत जागृति महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, जूना बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 221 दिनांक 7-5-2005 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री आर. डी. धृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 4-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कूजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी सस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यू/11.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी, यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम पं. क्र. व दिनांक
(1)	(2)
1.	दी बिलासपुर ग्रोवर्स एसो. को. आप. बिलासपुर पं. क्र. 565

(1)	(2)
2.	वेटर लिमिट सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 537
3.	हिन्दुस्तान आटोमोबाईल सह. समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 2594/19-5-60
4.	मोटर ट्रान्सपोर्ट सह. समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 2117/23-10-58
5.	महिला खादी ग्रामोद्योग सह. समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 2735/30-8-63
6.	महिला उद्योग सह. समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 2570/27-9-59
7.	महिला खादी ग्रामोद्योग सह. समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 2747/18-10-63
8.	किसान फलोद्यान साग सब्जी उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सह. समिति मर्या., बिलासपुर पं. क्र. 3502/20-4-93.

एल. एल. ध्रुव,
वरि. स. नि./परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.